

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
परमिन्द्र सिंह बनाम रानी उर्फ बलजीत कौर वगैरा
अपील प्रकरण सं० 02/2019

अधिवक्ता अपीलांत :- श्री मोहनलाल छाबडा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
08.01.2020	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 03.02.2020 को पेश हो।	27/01/20
4/2/20	पीठासीन अधिकारी अवकाश ग्रन्थ पर कार्य नै व्यक्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 4/2/20 को पेश हो।	
4/4/20	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 03.02.2020 को पेश हो।	
3/4/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी है। पत्रावली दिनांक 3/4/20 को पेश हो।	
7/5/20	पीठासीन अधिकारी अवकाश ग्रन्थ पर कार्य नै व्यक्त है। पक्ष कारण के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 7/5/20 को पेश हो।	
4/6/20	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी है। पत्रावली दिनांक 4/6/20 को पेश हो।	
29/6/20	अभिभाषक उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 03.02.2020 को पेश हो।	

06.8.25 माधविका 2244पता उपस्थित। बहस हेतु अवसर नहीं
मिला, जो दिया गया। पत्रावली वापस बहस
दिनांक 20.8.25 को पेश हो।

20.8.25

20.8.25

अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता
ने उपस्थित होकर कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक की
अपील माननीय न्यायालय में विवादाधीन है जो बहस हेतु
निश्चित है, उक्त प्रकरण में पक्षकारण का आपसी में सजीनामा
हो गया है, इस कारण अपीलार्थी कोई कार्यवाही करना नहीं
चाहता है, इस कारण उपरोक्त शीर्षक की पत्रावली में
कार्यवाही समाप्त कर अभिलेखगार में जमा कराने का आदेश
दिया जाना न्यायवित है साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने
नोटप्रेस कर उक्त अपील में आगे कार्यवाही नहीं करने का
निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस
करने के कारण हस्तगत अपील इसी स्टेज पर खारिज की
जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी
जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल
दफ़तर हो।

NOT PRESS

Pankaj
(सामान्य मोह, 15)

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर